International Journal of Enhanced Research in Educational Development (IJERED), ISSN: 2320-8708
Vol. 2, Issue 5, Sept.-Oct., 2014, pp: (73-78), Impact Factor: 1.125, Available online at: www.erpublications.com

आतंकवाद : कारण और निवारण

डॉ. संतोष गुप्ता

व्याख्याता–इतिहास, एम.एस.जे. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भरतपुर (राज.)

ABSTRACT

आतंकवाद नया नहीं है। यह उतना ही पुराना है जितना समाज, शासक और राज्य। शब्द व्युत्पत्ति की दृश्टि से इसका अर्थ भय या संत्रास है। यह आतंकवाद एक संगठित पद्धति है जिसके तहत हिंसा या हिंसा की धमकी का उपयोग करके लक्ष्य प्राप्त किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य अपने शिकार में भय पैदा करना है। आतंकवाद का स्वरूप, कारण और इतिहास हर देश में अलग–अलग है। हमारी लड़ाई आतंकवादी से नहीं अपितु आतंकवाद से होनी चाहिए। आतंकवाद के निवारणार्थ ठोस न्याय व्यवस्था का होना नितान्त आवश्यक है।

INTRODUCTION

आतंकवाद नया नहीं है। यह उतना ही पुराना है जितना समाज, शासक और राज्य। आतंक का कार्य अपने आप में बलपूर्वक अधीन करने का कार्य है। भारत और भारत के बाहर अनेक स्थानों में जिस प्रकार मारकाट, तरह–तरह की हिंसक और शर्मनाक घटनाओं की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है, उससे आम आदमी का सिर चकराना स्वाभाविक है। आखिर हम लोग किस दुनिया में रह रहे हैं। कवि राजेन्द्र कुमार की निम्नांकित पंक्तियाँ यह बताने के लिए पर्याप्त है कि आज पूरा विश्व सुरसा रूपी आतंकवाद के मुँह में समाया हुआ है।

''वातावरण में अजब–सी दहशत है
कि
कौन है यह जो
हमारी रगों में खून नहीं, त्रास दौड़ा जाता है
हमारे मस्तिष्क में विचार नहीं
वायवी आक्रोश ठूंस जाता है
और हम खाली रह जाते हैं।''

दुर्दान्त आतंकवादियों ने अपनी डरावनी करतूतों से पूरी दुनिया को थर्रा रखा है। इस विकराल समस्या से जनसामान्य ही नहीं, सरकारें भी अस्त–व्यस्त और त्रस्त हैं। ज्यों–ज्यों दवा दी जा रही है, मर्ज बढ़ता ही जा रहा है। ''बहुत कठिन है डगर पनघट'' वाली उक्ति चरितार्थ हो रही है।

सर्वप्रथम आतंकवाद की एक सही और सर्वसहमतिपूर्ण परिभाषा की आवश्यकता है। आतंकवाद जिसे अंग्रेजी में "TERRORISM" कहते हैं कि उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों "TERRERE और DETERRE से हुई है, जिसका अर्थ है–दूसरों को 'कंपाना' और 'डराना'।

बी.एन. महर्षि के शब्दों में ''आतंकवाद की कोई सर्वव्यापी परिभाषा नहीं है। बाल्टर जैकट के शब्दों में आतंकवाद की 109 परिभाषाएँ हैं। इसे हिंसा की धमकी, एक लड़ाई का माध्यम माना गया है, न कि एक विचारधारा। यह क्रूर है, मानवता के नियमों से परे है और प्रचार का इसमें बहुत महत्त्व है।''

शब्द व्युत्पत्ति की दृष्टि से आतंकवाद शब्द का अर्थ–ऐसा सिद्धान्त जो भय या त्रास पर आधारित अर्थात् ऐसा सिद्धान्त जो भय या त्रास के माध्यम से अपने लक्ष्य की पूर्ति करने में विश्वास करता है, आतंकवाद कहलाता है।

''इन साइक्लोपिडिया ऑफ सोशल साइन्सेज'' के अनुसार–''यह एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा संगठित समूह अथवा दल अपने प्रकट उद्देश्यों की प्राप्ति में मुख्य रूप से हिंसा के योजनाबद्ध तरीकों का उपयोग करता है।''

भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत आतंकवाद विरोधी अधिनियम में आतंकवादी कार्य को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि –''सरकार अथवा लोगों को आतंकित करके, विभिन्न वर्गों में वैमनस्य बढ़ाने तथा शान्ति भंग करने के उद्देश्य से बम विस्फोट करने, आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग करने, सम्पत्ति नष्ट करने, रसायन अथवा रासायनिक अस्त्र इस्तेमाल करने तथा आवश्यक सेवाओं में गड़बड़ी करने के उद्देश्य से जो कार्य किये जायेंगे, उन्हें आतंकवादी कार्य माना जायेगा।''

कुल मिलाकर आतंकवाद अभित्रास की एक संगठित पद्धति है जिसके तहत हिंसा या हिंसा की धमकी का उपयोग करके लक्ष्य प्राप्त किया जाता है और जिसका मुख्य उद्देश्य अपने शिकार में भय पैदा करना है। ऐसा करने के लिए क्रूर और अमानवीय प्रतिमानों का पालन किया जाता है।

आतंकवाद की सामान्य परिभाषा में हिंसा की वे सभी किस्में सम्मिलित नहीं है जिनका संगठित समूह प्रयोग करता है। वह हिंसा जो विशुद्ध व्यक्तिगत उद्देश्यों के कारण की जाती है, आतंकवाद से अलग है।

यह बात ध्यान देने की है कि आतंकवाद विद्रोह नहीं है और विद्रोह आतंकवाद नहीं अर्थात् आतंकवाद और विद्रोह में अन्तर है। विद्रोही को स्थानीय जनता के एक बड़े भाग का समर्थन प्राप्त होता है, जबकि आतंकवादी के लिये यह आवश्यक नहीं। इसके अतिरिक्त विद्रोही उस देश का नागरिक होता है जो अपने देश की संवैधानिक सरकार के विरूद्ध विद्रोह करता है और सरकार को हटाने के लिए संघर्ष करता है, जबकि दूसरी ओर आतंकवाद उस देश का, जहाँ वह क्रियाशील है, नागरिक हो सकता है या नहीं भी हो सकता।

''आतंकवादी एक सुन्दर उपवन की जारज या खोटी उपज के समान है। यदि इसे काटा जाये तो दुबारा आ जायेगी। अतः इसे जड़ सहित उखाड़ा जाना समीचीन है।''

आतंकवाद की विषवेल ने विश्व को पूरी तरह से आच्छादित कर दिया है। सऊदी अरब से फरार तथा दुनिया के 10 कुख्यात आतंकवादियों की सूची में शामिल ओसामा बिन लादेन ने अफगानिस्तान के जलालाबाद शहर से एक वक्तव्य दिया था कि–''हमारे सबसे बड़े दुश्मन अमेरिका और भारत है, आगामी दिनों में ये दोनों मुल्क हमारे मुख्य निशाने पर होंगे।'' लेकिन यह वक्तव्य केवल भारत और अमेरिका के लिए चिन्ता का विषय नहीं बना है, वरन अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक समस्या के रूप में इसे हमें देखा जाना चाहिये।

जिस प्रकार केन्या व तन्जानिया में अमेरिकी दूतावासों पर, पेन्टागन पर आतंकवादी संगठनों द्वारा बम विस्फोट किए गए, वह अमेरिकी प्रशासन को चिन्तित कर देने के लिए काफी है। भारत में कश्मीर में हो रही हत्याएँ, गुजरात में अक्षरधाम पर आक्रमण, संसद पर हमला आदि चिन्ताजनक है। उधर रूस में दागिस्तान, ताजिकिस्तान, चेचन्या, व अपरवैजान में आतंकियों ने बमों के धमाकों से आतंक का सा माहौल बना रखा था। चीन का मध्य एशियाई मुस्लिम राज्य सिनजियान भी इससे अछूता नहीं रह पाया है। इन आतंकवादियों का मुख्य उद्देश्य वैध सरकारों को अस्थिर करना ही रहा है।

यह बात जग जाहिर है कि आतंकवाद के क्रूर और अमानवीय हरकतों ने अन्य देशों के साथ–साथ भारत को भी फंसा लिया है। भारतीय खुफिया एजेन्सी रिसर्च एण्ड एनालिसिस विंग (रॉ) व कुछ दूसरी खुफिया एजेन्सियों की रिपोर्ट बताती है कि देश के कुल 535 जिलों में से 210 जिलों में भीतर घातियों

की मदद से आई.एस.आई. अपना जाल फैला चुकी। दक्षिणी–पश्चिमी राज्यों के 69 जिलों में से 48 जिलों में इनकी गतिविधियों में हिंसा भी शामिल है। असम की आतंकी संस्था 'उल्फा' की आई.एस.आई. को मदद करने की अधिकारिक तौर पर पुष्टि हो चुकी है जहाँ के 23 जिलों में लगातार हिंसक गतिविधियाँ जारी है। देश में हर साल सुरक्षा बलों के हजारों जवान व अधिकारी आई.एस.आई. की आतंकी गतिविधियों के शिकार हो जाते हैं।

आतंकवाद का स्वरूप, कारण और इतिहास हर देश में अलग–अलग है। आज भारत में आतंकवाद की जो गम्भीर स्थिति है, वह स्थिति उन मूलभूत कारणों के सम्बन्ध में सोचने के लिए बाध्य करती है जिन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आतंकवाद और आतंकी व्यवहार को जन्म दिया है।

यह धारणा बहुत मजबूत होती जा रही है कि हमारी इंटेलिजेन्स एजेन्सियाँ आतंकवादी गतिविधियों के बारे में पता लगाने में विफल रहती है। यह तय है कि स्थानीय सहयोग के बिना कोई भी आतंकवादी गतिविधियाँ संभव नहीं है। आतंकवादी महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को निशाना बनाते हैं और अव्यवस्था फैलाते हैं। दुर्भाग्यवश इंटेलिजेन्स एजेन्सियाँ टोह पाने और उनकी योजनाओं को विफल करने में असमर्थ रहती हैं।

आतंकी गतिविधियों के बढ़ने का एक प्रमुख कारण भयानक और आधुनिकतम अस्त्र–शस्त्रों को अवैध रूप से सहज में प्राप्त कर लेना। स्थिति यह है कि अत्यन्त आधुनिक प्रकार के हथियार चोरी–छिपे खरीदे बेचे जा सकते हैं। 1958 में केन्द्र सरकार ने यह निर्णय लिया था कि हथियारों का निर्माण केवल सार्वजनिक क्षेत्र के कारखाने ही करेंगे, लेकिन इस फैसले पर अमल नहीं किया गया। यह माना जाता है कि लगभग 133 गैर सरकारी कारखाने हैं जो हथियारों का निर्माण करते हैं। यदि मानव बम या आत्मघाती जैसे आधुनिक हथियारों पर रोक नहीं लगी तो वह दिन दूर नहीं जब खुलेआम अत्याधुनिक हथियार बिकने लगेंगे। विदेशों से भी भारत के खिलाफ हथियारों की आपूर्ति की जाती है। करगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान की मदद के लिये कराकोरम राजमार्ग पर चीन से सैन्य साजो–सामान लाने के लिए ट्रकों की लाइन लग गई।

भ्रष्टाचार ने भी आतंकवाद को बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका अदा की है। सभ्यता के किसी भी दौर में कोई भी समाज या उसके व्यवस्थागत अनुषंग पूरी तरह भ्रष्टाचार विहीन शायद ही रहे हो। मानव के पास बुद्धि का जो विलास है, यह उसका ही विद्रूप है कि वह एक ओर सभ्यता और व्यवस्था के ऊँचे मानदण्ड रखते हैं तो दूसरी ओर सभ्यता को नष्ट करने के उपकरण। अपनी ही व्यवस्था में सुराख गढ़ने का प्रयास करता है। संकट तब और बढ़ जाता है जब ध्वंस और अव्यवस्था के उपकरण और उपाय सामाजिक मान्यता हासिल करने लगते हैं। उच्चतम स्तर से लेकर निम्नतम स्तर तक भ्रष्टाचार ने अपने भीषणतम रूप में घर कर लिया है। नवयुवक वर्ग राजनीतिज्ञों और अन्य नव–धनाढ़यों के वैभव और शान–शौकत को देखकर कुंठित और आक्रोश में है। राजनीतिज्ञों, उच्च नौकरशाहों, उद्योगों तथा व्यापार से जुड़े व्यक्तियों के आचरण को देखकर उनके मन–मानस में देशहित की भावना कमजोर ही नहीं हुई बल्कि नैतिक और अनैतिक का भाव ही समाप्त हो गया। नवयुवक वर्ग जब देखता है कि तस्कर, माफिया या अपराधी तत्वों के साथ जुड़कर मौज मस्ती का जीवन यापन किया जा सकता है तो वह निरन्तर इस अपराध जगत की ओर आकर्षित होता रहा।

आतंकवाद के लिए यदि किसी एक तत्व को सबसे अधिक उत्तरदायी ठहराया जा सकता है तो वह है राजनीति। राजनीति हमारे समस्त जीवन पर छा गयी है। इससे जुड़े हुए व्यक्ति व्यक्तिगत और राजनीतिक लाभ के लिए अपराधी और आतंकवादी तत्वों को शरण दे देते हैं।

शिक्षित बेरोजगारी ने समस्त सामाजिक व्यवस्था में विद्यमान आपाधापी और अन्य कुछ बातों ने शिक्षित और अर्द्धशिक्षित नवयुवकों में तीव्र अंसतोष उत्पन्न कर दिया है। बेरोजगारी की इस स्थिति ने आतंकवाद का बहुत बड़ा आधार तैयार किया है। नवयुवक वर्ग यह देखता है कि योग्यता के बावजूद अच्छी नौकरी प्राप्त कर लेना बहुत कठिन है। ये लोग मेहनत मजदूरी या नौकरी के आधार पर सम्मान और सुविधाजनक जी पाना बहुत कठिन मानते हैं। जब ये देखते हैं कि तस्कर और नशीले पदार्थों के व्यापारी शान–शौकत का जीवन यापन करते हैं तो ये इन कार्यों की ओर आकर्षित होते हैं। तस्करी, नशीले पदार्थों का व्यसन और व्यापार आतंकवादियों में सीधे संबंध की स्थिति है। आतंकवादी तस्करों का अपने लिये प्रयोग करते हैं और तस्कर आतंकवादियों का। नशीले पदार्थों के व्यसन से ग्रस्त नवयुवक आतंकवादियों के हाथों की कठपुतली बन जाते हैं।

अन्याय और शोषण भारत में सदियों से चला आ रहा है। आज स्वतंत्रता मिले अनेक वर्ष हो गये हैं। संविधान भी बनाया गया लेकिन अन्याय और शोषण में कोई कमी नहीं आई। आर्थिक–सामाजिक न्याय के केवल नारे लगाये गये। इस दिशा में कोई ठोस कार्य नहीं किया गया। शासक वर्ग द्वारा शोषित वर्ग की आवाज ही नहीं सुनी जाती। जब तक समग्र रूप से क्रान्ति नहीं होगी, तब तक शासक वर्ग आँखे मूंदे रहेगा।

आतंकवाद के विस्तार में अनेकानेक संगठन भी संलग्न है जिन्हें आतंकवादी संगठन घोषित किया जा चुका है। इनमें जैश–ए–मोहम्मद, लश्कर–ए तोयबा आदि प्रमुख हैं। लगातार नाकाम होने के बाबजूद इन संगठनों ने हार नहीं मानी है। इन संगठनों की रीढ़ पर निर्णायक प्रहार नहीं हुए। इसलिए इनकी सक्रियता में कोई कमी नहीं आयी। ऐसे संगठनों को सीमापार से हर तरह की मदद दी जाती है। इसलिए कश्मीर में घुसपैठियों की वारदातें भी पूर्ववत है।

पाकिस्तान के जवां खून को आतंकवाद की दिशा में मोड़ा जाता है। उनके दिमाग में यह भर दिया जाता है कि तुम जो कर रहे हो वह पवित्र काम है। इस तरह रक्तपात को 'जिहाद' का जामा पहनाकर आतंकवाद चलाया जाता है। आतंककारी मजहबी मानसिकता सभी जगह लोकतान्त्रिक स्वतंत्रताओं का दुरुपयोग करती है। दुनिया की महाशक्तियाँ माने जाने वाले देश मजहबी उग्रवाद या आतंकवादी के निशाने पर है।

दक्षिण एशिया में तो भारत दशकों से इस आतंक को झेल रहा है। यूरोपीय साम्राज्यवादियों की सहायता से ही यह मजहबी मतांधता भारत में पनपी थी। अंग्रेज भारत का विभाजन करके ही यहाँ से गये थे। यह एक सर्वज्ञात तथ्य है कि तालिवान प्रशिक्षित आतंककारी चेचेन्या, बोस्निया तथा कश्मीर में हिंसक कार्यवाही करते हैं। विश्व भर के देशों में इस्लाम के नाम पर पृथकतावाद का पोषण करना ओसामा बिन लादेन अपना पावन कर्त्तव्य समझता। फिदाईन यानि आत्मघाती हमला इस्लामी आतंककारियों के कथित 'जेहाद' का अचूक हथियार बन गया। इसमें शामिल हमलावर को यकीन दिलाया जाता है कि जेहाद में उसकी मौत शहादत के रूप में दर्ज होती है।

हम आजादी के बाद से ही आतंकवाद से जूझ रहे हैं। लेकिन विडंबना तो यह है कि हमारे पास आतंकवाद से लड़ने के लिए कोई अलग नीति और रणनीति नहीं है। आज जरूरत है आतंकवाद के संबंध में एक अन्तर्राष्ट्रीय नीति तय करने की लेकिन आतंकवाद का कारण, स्वरूप और इतिहास हर देश में अलग–अलग है। अतः पहले एक अन्तर्राष्ट्रीय नीति तय हो। फिर देश की परिस्थितियों के अनुरूप उसकी क्रियान्विति हो। एक ही लाठी से सबको हाँकना उचित नहीं है।

सच कहा जाये तो आज जरूरत है आतंकवादी गतिविधियों को सही ढंग से परिभाषित करने की। आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों की सही पहचान सुनिश्चित करने की और आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों का समुचित वर्गीकरण करने की। साथ ही आतंकवाद के पनपने के कारणों का पता लगाने की सत्यनिष्ठा से कोशिश होनी चाहिये। अगर यह सत्य है कि आतंकवाद का बीज विदेशी शक्तियाँ बोती हैं तो यह भी सत्य है कि आतंकवाद को खाद देश की वर्तमान आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या अन्य परिस्थितियाँ ही उपलब्ध कराती हैं। असंतोष की इन परिस्थितियों पर अगर समुचित ध्यान दिया जाये तो विदेशी ताकतों द्वारा बोये गए आतंकवाद के बीज को तेजी से पनपने का अवसर नहीं मिल पायेगा और इसके खिलाफ कार्यवाही आसान हो जायेगी।

हमारी लड़ाई आतंकवादी से नहीं बल्कि आतंकवाद से होनी चाहिए। जन सहयोग के बिना इसमें सफलता नहीं मिल सकती। आज आतंकवाद से निपटने के लिए दुश्मनों से ही नहीं बल्कि जनता के दिलों पर भी विजय प्राप्त करने की आवश्यकता है।

इसके अतिरिक्त आतंकवाद से निपटने के लिए पुलिस या सेना को लगाने का परहेज किया जाना चाहिये। जो पुलिस आन्तरिक कानून व्यवस्था का जिम्मा संभालती है उसे ही आतंकवाद से लड़ने के लिए भेज दिया जाता है और जो सैनिक सीमा पर दुश्मनों से जूझने के लिए प्रशिक्षित होता है, उसे ही आतंकवादी से भिड़ने भेज दिया जाता है। पुलिस दबाव में आकर उन तरीकों का इस्तेमाल करती है जिन्हें मानवाधिकार का उल्लंघन बताया जाता है। सेना जिसके खिलाफ लड़ती है उसे दुश्मन मानकर व्यवहार करती

है। यहाँ भी मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है। इसके लिये 'आतंकवाद उन्मूलन बल' जैसे किसी संगठन का गठन किया जाना चाहिये, जो आतंकवादियों से निपटने के लिये विशेष तौर पर प्रशिक्षित भी हो। पुलिस और सेना तो आतंक से निपटने के मामले में केवल इसके सहयोगी मात्र की भूमिका में हो। इसकी अपनी अलग खुफिया शाखा हो और यह केवल सूचनाओं के आधार पर ही कार्यवाही करें, संदेह के आधार पर नहीं।

आतंकवाद के खिलाफ की गई कार्यवाही को सौ फीसदी मानवाधिकार के चश्मे से देखना गलत है क्योंकि आतंकवाद एक प्रकार से छाया युद्ध (प्राक्सीवार) है जिसमें हमें अपनी जमीन पर अपने जैसे लोगों से लड़ना पड़ता है, जो किसी विदेशी शक्ति द्वारा संभावित रहते हैं। पुलिस तंत्र को मानवाधिकार का पाठ पढ़ाने से कार्य नहीं चलेगा, बल्कि जरूरत है पूरे समाज में मानव और उसके अधिकारों की रक्षा के प्रति लोगों के दृष्टिकोण को बदलने की।

यह सही है कि आतंकवाद पर काबू पाने के लिये केन्द्रीय सरकार ने "टाडा" की तर्ज पर "आतंकवाद रोकथाम विधेयक" (पोटा) तैयार किया है जो मानवीय संवेदनाओ से युक्त होते हुए भी आतंकवादियों के मन में खौफ पैदा कर सकेगा। लेकिन कानून बनाने मात्र से कुछ नहीं होगा। इस देश की युवा पीढ़ी को बेरोजगारी के दैत्य से मुक्त करना होगा, तभी वह आतंकवाद के भूत से मुक्त हो पायेगा।

आतंकवाद को दूर करने के लिए आतंकवाद के विरुद्ध सामूहिक कार्यवाही करने की भी आवश्यकता है। यह कार्यवाही तीन प्रकार से संभव हो सकती है – (1) पीड़ित देशों या किसी देश की पहल पर कुछ देश आतंकवाद के विरुद्ध कार्यवाही में सम्मिलित हो। (2) आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देशों को चिह्नित किया जाये और उन्हें प्रतिबंधित कर प्रताड़ित किया जाये। (3) आतंककारी संगठनों के विरुद्ध कूटनीतिक और सैनिक कार्यवाही की जाये।

आतंकवाद के निवारणार्थ ठोस न्याय व्यवस्था का भी होना नितान्त आवश्यक है। राजनीतिज्ञों एवं नेताओं को आपराधिक आतंकवादियों के संरक्षण से दूर रहकर ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देने का समर्थन करना होगा। किसी भी आतंकी गिरोह को पकड़ा जाये तो उससे कड़ी पूछताछ की जाये और अपराधी होने पर उसका ऐसा हश्र किया जाये कि उक्त अपराधी आतंकवादी संगठनों के लिए मिसाल बन जाये कि तुम्हारा भी ऐसा ही पतन होगा। मीडिया भी इसमें अपनी मुख्य भूमिका अदा कर सकता है। यह तभी संभव है जब इस व्यवस्था को लागू करने में सभी एकमत हों।

कैंसर की तरह आतंकवाद एक घातक रोग है, जिसका निदान व्यक्ति के जीवन शैली में परिवर्तन पर निर्भर करता है। किसी भी सैनिक या पुलिस आक्रमण द्वारा यह समाप्त नहीं हो सकता क्योंकि यह उससे भी अधिक परिपक्व और प्रभावशाली है।

आतंकवादियों की कुचेष्ठओं को समाप्त करने के लिए एक सुदृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। इनके आतंक को खत्म करने के लिए दोहरे मापदण्ड या नीतियाँ कारगर नहीं हो सकती। अगर नीयत साफ है तो इस पर काबू पाना कुछ भी गैर मुमकिन नहीं है।

संदर्भ सूची

1. फाईटिंग द न्यू इविल वार ऑफ टेरेरिज्म, त्रिकुटा रेडियेन्ट पब्लिकेशन, जम्मू–डा. सुरेन्द्र सिंह
2. द टाइम्स ऑफ इण्डिया, सम्पादकीय–3 जून, 1985
3. द हिन्दुस्तान टाइम्स–15 जून, 1997
4. प्रोटेस्ट मूवमेन्टस इन इण्डिया : द इण्डियन जनरल ऑफ पोलिटिकल साईन्स : अक्टूबर–दिसम्बर 1991
5. पोलटिक्स ऑफ स्केअरसिटी–मायरन वीनर
6. लीविंग विद टेरेरिज्म – रिचर्ड क्लूटरवक
7. टेरेरिज्म हिस्ट्री एण्ड फेक्टस्– एन.एस. सक्सैना
8. राजस्थान पत्रिका –मुशर्रफ के दावे और हकीकत, 12 दिसम्बर, 2002
9. राजस्थान पत्रिका – कड़ी कार्यवाही जरूरी, 26 नवम्बर, 2002
10. राजस्थान पत्रिका, 29 नवम्बर, 2002–भयावह है आतंकवाद की उभरती तस्वीर

11. राजस्थान पत्रिका–एशिया के दो विशाल देश, 21 मार्च, 2003
12. टाइम्स ऑफ इण्डिया, 26 अक्टूबर 2002– आतंक का रंगमंच
13. यू.एन.एण्ड द चेलेन्ज ऑफ ग्लोबल टेरेरिज्म, अक्टूबर–दिसम्बर 2001 – बी.एन. महर्षि

ER PUBLICATIONS